

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समितियों द्वारा चलाये गए विद्यालयों का अध्ययन

डॉ पूनम लता मिश्रा, सहयोगी व्यख्याता (शिक्षा), श्री विनायक महाविद्यालय, श्री विजयनगर (राजस्थान)

हमारे देश में शिक्षा को तीन स्तरों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की नींव है, इसी नींव पर शिक्षा के मार्ग का निर्माण होता है। यदि हमारी प्राथमिक शिक्षा ही उपेक्षित हुई तो भविष्य में क्या होगा? ... तीसरी दुनिया के विकासोन्मुख देशों की श्रेणी में भारत का विशिष्ट स्थान है। अपने देश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं व अनेकानेक क्षेत्रों की प्रगति व उपलब्धियों का अपने जन-जीवन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है अपितु विश्व के बहुत से देश भी हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं। जैसा कि विदित है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मूल-मन्त्र उसके नागरिकों द्वारा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कर्तव्यों के निर्वहन में निहित है वहीं नागरिकों के आचार-विचार, जीवन स्तर व रहन-सहन में सुधार का सीधा सम्बन्ध उनके शिक्षित होने से है। अशिक्षा एक अभिशाप है जो मिटाये नहीं मिट रही है। इस अशिक्षा रूपी अभिशाप को कम करने के लिए हमारे देश एवं प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं का निर्माण हो रहा है तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाने का भी भरसक प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए शासन, शिक्षा विभाग आदि प्राथमिक शिक्षा के विकास में गम्भीरतापूर्वक अनेकानेक कदम उठा रहे हैं।

1. प्रस्तावना

“भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संस्था पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाना ही है।”

शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर का विशेष महत्त्व है। यह .. वही अवस्था होती है जब व्यक्तित्व के विकास की नींव रखी जाती है। इस अवस्था में बच्चे में डाले गये संस्कार जीवनपर्यन्त उसके व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे को जितने विविध और समृद्ध अनुभव प्राप्त होंगे उसका विकास उतना ही प्रभावी होगा, इसी अवस्था में बच्चों में खोज, जिज्ञासा, विश्लेषण, आदि प्रवृत्तियों का विकास होता है।

“विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।”¹ विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्था है। ये शिक्षा संस्थाएँ मानव जीवन को तथा मानव जीवन ... शिक्षा संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। शिक्षा संस्थाएँ या विद्यालय समाज पर तथा समाज विद्यालय पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा दोनों एक-दूसरे का स्वरूप भी निर्धारित करते हैं।

प्राथमिक शिक्षा बालकों को आये वातावरण से अनुकूलन करने योग्य बनाती है, उसमें परस्पर सद्भावना व सहयोग की भावना विकसित करता है, उनका शारीरिक व मानसिक विकास करती है, भाषा कला व संगीत आदि के द्वारा आत्माभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, उनमें नागरिकता के गुण विकसित करती है तथा उनमें नैतिकता की भावना उत्पन्न करती है। “कोठारी आयोग” (1964-66) ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में लिखा है कि “आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण देकर उसका इस प्रकार से विकास करना है कि वह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सके।”

भारतवर्ष में वर्तमान प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य अस्पष्ट प्रतीत होते हैं। "शैक्षिक उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण के अभाव में शिक्षा प्रणाली को सुचारु ढंग से चलाना यदि सम्भव नहीं है तो अत्यधिक कठिन अवश्य है। सामान्यतः शिक्षा में उद्देश्यों को अति व्यापक रूप में देखा जाता है। व्यापक रूप में लिखे उद्देश्यों का कक्षा में वास्तविक शिक्षण कार्य में लगे अध्यापकों तथा प्रशासकों व पर्यवेक्षकों से प्रायः दूर का ही सम्बन्ध होता है। बालक का सर्वांगीण विकास करना राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, धर्म निरपेक्षता की रक्षा करना ज्ञान व कौशल को विकसित करना, संस्कृति का संरक्षण करना, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, सनातन मूल्यों का विकास करना, जैसे व्यापक उद्देश्य शिक्षा सम्बन्धी सैद्धान्तिक विवेचन में तो उपयोगी होते हैं, परन्तु शैक्षिक प्रशासकों, निरीक्षकों, योजनाकारों तथा अध्यापकों के लिए इन उद्देश्यों का तब तक कोई वास्तविक महत्व नहीं है जब तक इन्हें विषयगत व कक्षागत शिक्षण उद्देश्यों के रूप में सुस्पष्ट न किया जाये।" राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (छबत्त) के द्वारा सन् 1975 में तैयार किए गए दस्तावेज "जीम. बनततपबनसनउ वित जीम जमद लमंत 'बीववस.'" में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को निम्नवत् लिया गया है

- अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप के लिए प्रथम भाषा (मातृभाषा) का ज्ञान प्रदान करना।
- व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़, घटाव, गुणा व भाग की योग्यता प्रदान करना।
- वैज्ञानिक खोज विधि (बपमदजपपिब प्दुनपत डमजीवक) को सिखाना तथा विज्ञान व तकनीकी के महत्व को समझना।
- राष्ट्रीय प्रतीकों (जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान आदि) तथा प्रजातान्त्रिक विधियों व संस्थाओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।
- भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराना तथा अस्पृश्यता, ... जातिवाद व साम्प्रदायिकता का विरोध करना सिखाना।
- मानव श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना।
- सफाई तथा स्वस्थ जीवन की अभिरुचि बढ़ाना।
- अच्छाई तथा सौन्दर्य की अभिरुचि बढ़ाना।
- अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करने की भावना विकसित करना।
- चरित्र तथा व्यक्तित्व के वांछनीय गुण (जैसे— पहल करना, नेतृत्व करना, दयालुता, ईमानदारी आदि) का विकास करना।
- सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना।
- स्वाध्ययन की आदत डालना।

पाठ्यक्रम उन क्रिया कलाओं का एक समूह है जिन्हें अध्यापक तथा छात्र एक साथ मिलकर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजन करते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समुचित आयोजन सम्भव हो पाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों पर मुख्य रूप से आधारित होता है। इसलिए किसी भी स्तर की शिक्षा को पाठ्यक्रम का उस स्तर के लिए निर्धारण उद्देश्यों के अनुरूप होना आवश्यक है। परन्तु खेद का विषय है कि प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया है। शासन स्तर से इस सन्दर्भ में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं हो सकता है कि पाठ्यक्रम अच्छी प्रासंगिकता प्राप्त करें। पाठ्यक्रम का अत्यधिक (त्पहपक) होने के कारण यह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने में असमर्थ रहता है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान तथा रटन्त स्मरण पर अधिक बल दिया जाता है। वर्तमान पाठ्यक्रम बालकों के

सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतः असफल रहा है। यह संकीर्ण, नीरस, अरुचिकर, अनुपयोगी तथा अव्यवसायिक प्रतीत होता है। ऋतुवास्तव में पाठ्यक्रम को बाल केन्द्रित तथा क्रिया केन्द्रित होना चाहिए।

इसे बालकों के प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाएं सम्मिलित की जानी चाहिए। जो बालकों की क्षमताओं को तथा छात्रों से मिल-जुलकर सौहार्द्रपूर्ण ढंग से रहने की भावना को विकसित कर सकें। कोठारी आयोग ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत उपागम की सिफारिश की थी। आयोग का विचार था कि प्राथमिक शिक्षा केवल पुस्तकीय बनकर रह गयी है। यह जीवन की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही है। देश की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए तथा राष्ट्रीय आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की एक व्यापक तथा संशोधित योजना की आवश्यकता ही एकीकृत उपागम से अभिप्राय है कि सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा .. को एक इकाई के रूप में मानकर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों को समस्त पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप में अनेक छोटी-छोटी इकाइयों में बाँटा जाय। छात्र अपनी रुचि सामर्थ्य तथा योग्यता के अनुसार अपनी-अपनी गति से एक के बाद एक इन इकाइयों को पूरा करें। इस योजना में श्रेष्ठ तथा कमजोर छात्र अपनी-अपनी गति से आगे बढ़ेंगे, जो मनोविज्ञान के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धान्त की दृष्टि से उचित होगा।

इसके अलावा इस एकीकृत योजना से प्राथमिक स्तर की सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या—अपव्यय तथा अवरोधन स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। परन्तु खेद सहित कहना पड़ेगा कि हमारा वर्तमान प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम अभी विभिन्न विषयों तथा कक्षाओं के रूप में विभेदित है। एकीकृत पाठ्यक्रम की अवधारणा को हम अभी तक भी साकार रूप देने में असमर्थ रहे हैं।

कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा के ... पाठ्यक्रम की कटु शब्दों में आलोचना करते हुए कहा था कि यह पाठ्यक्रम संकुचित, कृत्रिम, पुस्तकीय सैद्धान्तिक तथा विषयों की भरमार से युक्त है रटन्त स्मरण पर अधिक बल देता है। आयोग ने प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की तीव्र आवश्यकता पर बल दिया है तथा पुनर्गठित पाठ्यक्रम प्रारूप भी तैयार किया था। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' की घोषणा की। – भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व माना गया है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य के अधीन है। तथापि केन्द्र सरकार भी समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य .. का सहयोग करती रहती है। राज्य सरकार के राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन व नियंत्रण को दो भागों में बाँटा जा सकता है— शिक्षा सचिवालय तथा शिक्षा निदेशालय। शिक्षा सचिवालय में शिक्षामंत्री, शिक्षा उपमंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा संयुक्त सचिव, शिक्षा उपसचिव आदि अधिकारी होते हैं। जबकि शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक, शिक्षा उप निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा सचिव, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहता है। प्राथमिक स्तर पर तीन प्रकार के स्कूल पाये जाते हैं। सरकारी स्कूल, मान्यता प्राप्त स्कूल, तथा मान्यता विहीन स्कूल। सरकारी प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था लगभग – पूर्ण रूपेण बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में रहती है। मान्यता प्राप्त स्कूलों को पुनः दो भागों में बाँटा जा सकता है— आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल सरकार से प्राप्त आर्थिक अनुदान से चलते हैं। इन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का काफी नियंत्रण रहता है। जबकि सहायता विहीन प्राथमिक स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का शैक्षिक नियंत्रण भी होता है। वर्तमान समय में मान्यता विहीन प्राथमिक स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है। ये स्कूल किसी भी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं। इन्हें 'शिक्षा दुकान' कहा जा सकता है। जहाँ उच्च मूल्य पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इन स्कूलों पर प्रबन्ध पूर्णरूप से इनके संचालन पर या प्रबन्ध तन्त्र के हाथों में रहता है। मान्यता प्राप्त स्कूलों के ऊपर

नगर पालिका के शिक्षा निरीक्षकों का भी नियंत्रण रहता है। प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर वर्तमान समय में लिखित व मौखिक परीक्षाएं प्रचलन में हैं वे परीक्षाएं लेते हैं तथा छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर परीक्षाएं हों या नहीं, इस सम्बन्ध में दो विपरीत मत शिक्षाशास्त्रियों में पाये जाते हैं। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि इस स्तर पर परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए शैक्षिक उपलब्धि का इतना महत्व नहीं है जितना कि शैक्षिक वातावरण एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में सक्रिय ढंग से भाग लेने का है। परीक्षा के प्रति जागरूकता बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है तथा परीक्षा की चिन्ता के कारण बालक शैक्षिक क्रियाकलापों के आनन्द से वंचित ... हो सकता है। जब बालक परीक्षा का अभिप्राय समझने के योग्य हो जाये तब ही परीक्षाएं लेनी चाहिए। परन्तु इसके विपरीत कुछ अन्य का मत है कि प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि बालक ने पाठ्यक्रम को आत्मसात् किया या नहीं, उसकी पढ़ाई की सुचारु व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसके साथ-साथ परीक्षा में सफलता का आनन्द बालक को भावी शिक्षा के प्रति प्रेरित करता है। ये दोनों मत अपनी-अपनी जगह उचित ही प्रतीत होते हैं किन्तु इस बात को भी स्वीकार करेंगे कि उच्च कक्षाओं में प्रचलित लिखित परीक्षा प्रणाली छोटे बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है।

समिति एवं ग्राम शिक्षा समितियों की व्यवस्था है। ये सभी प्राथमिक शिक्षा के लिए: अपने-अपने क्षेत्र में उत्तरदायी हैं और प्राथमिक विद्यालयों की सुचारु रूप से निगरानी करने में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा में निजी प्रबन्ध-तन्त्र शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं इनमें से तो कुछ .. प्रबन्ध-तन्त्रों को सरकार कुछ अनुदान भी दे रही है परन्तु अधिकांश प्रबन्ध तन्त्र अपने निजी स्रोतों से प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार उठाते हैं ऐसे निजी प्रबन्ध-तन्त्रों द्वारा संचालित विद्यालय के कई प्रकार हैं

2. समितियों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय

ऐसे विद्यालय कुछ उत्साही व्यक्तियों द्वारा अपने निजी प्रयासों से चल रहे हैं, इसके लिए कुछ लोग मिलकर एक रजिस्टर्ड समिति निर्मित कर लेते हैं और अपनी एक नियमावली बना लेते हैं और उस नियमावली में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार विद्यालयों का संचालन करते हैं। इस प्रकार के विद्यालय भी छात्रों के सर्वांगीण विकास में काफी योगदान दे रहे हैं।

3. मिशनरियों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय

भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों का आगमन अंग्रेजों द्वारा उनके शासन काल में हुआ और इन मिशनरियों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु कई स्थानों पर अनेक विद्यालय खोले। ये विद्यालय आज भी बड़े व्यवस्थित तरीके से और कठोर अनुशासन के साथ चल रहे हैं। इनकी व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए ये सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। इन विद्यालयों के संचालक सेवा भावना से ओत-प्रोत रहते हैं। हमारे देश में इस प्रकार के मिशनरी विद्यालयों का काफी लम्बा नेटवर्क फैला हुआ है।

4. फैक्टरियों एवं कम्पनी द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय

फैक्टरियों एवं कम्पनी भी आज अपने मजदूरों व कर्मियों के बच्चों के लिए अपनी फैक्ट्री के परिसर के अन्दर या पास में प्राथमिक विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, इस प्रकार के विद्यालयों का प्रबन्ध भी अच्छा होता है क्योंकि फैक्ट्री मालिकों के पास धनाभाव नहीं होता है और उनके विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहते हैं।

5. धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालय

भारत विभिन्न धर्मों का देश है यहाँ पर अनेक धर्म पनप रहे हैं। इनमें प्रत्येक धर्म के अपने पूजा स्थल हैं जैसे मस्जिद, मन्दिर, गुरुद्वारा, चर्च आदि। इन संस्थाओं की प्रबन्ध समितियाँ भी कई स्थानों पर जनकल्याण की भावना से विद्यालय खोली हुई हैं और देश की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं।

6. निष्कर्ष

सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा में जो सर्वांगीण प्रगति होनी चाहिए थी, वह दृष्टिगोचर हो सकी। कोई भी जागरूक अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक पाठशाला में नहीं भेजना चाहता है इसका कारण यह है कि यह शिक्षा गुणवत्ता से हटकर ह्रासोन्मुखी हो गयी है वहीं दूसरी तरफ गैर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अभिभावकगण अपने बालकों को उनके ऊपर अधिक पैसे खर्च करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं ऐसी विसंगति क्यों है? इसीलिए प्रस्तुत विषय शोध पर शोध करने के लिए सोचा गया है। सरकारी प्राथमिक संस्थाओं और गैर-सरकारी प्राथमिक संस्थाओं के शैक्षिक नियोजन, शिक्षकों की योग्यताओं, शिक्षा पर व्यय और अभिभावकों के छात्रों की भेजने की अभिरुचि शिक्षा में व्याप्त विभिन्नता दिखायी पड़ती है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यह संविधान की मंशा के प्रतिकूल भी है। इसलिए यथार्थ को समझने के लिए इस विषय पर शोध करने के लिए सोचा गया है।

सन्दर्भ

- आलोक (2015). सहारा समय . वर्गों में बटी शिक्षा . प्राईमरी शिक्षक . नई दिल्ली : नेशनल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग . पृ . 41.
- ब्रोग , डब्लू . आर . (2013). एज्युकेशन रिसर्च एण्ड एन इंट्रोडक्शन . न्यूयार्क : लॉग मेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी . पृ . 47.
- बेस्ट जे डब्ल्यू (2014). शिक्षा में अनुसंधान . पब्लिक हाऊस . नई दिल्ली .
- गुड , कार्टर वी . (2015). डिक्सनरी ऑफ एज्युकेशन . (प्रथम संस्करण) . न्यूयार्क : मैकग्रे हील बुक कम्पनी .
- हाराल्ड , ई . एम . (2012). इनसाइक्लोपिडिया ऑफ एज्युकेशन . न्यूयार्क : दी फ्री प्रेस . पृ . 42.
- हार्नवाई , ए . एस . (2010). ऑक्सफोर्ड एडवान्स लर्नर डिक्शनरी . नई दिल्ली : रिहास पब्लिकेशन . पृ . 17.
- कोठारी , डी . एस . (2015). रिपोर्ट ऑफ एज्युकेशन कमीशन . नई दिल्ली : गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया प्रेस . पृ . 78.
- राय , एस . (2014). स्वतन्त्रता विशेषांक . आधुनिक भारतीय शिक्षक . नई दिल्ली : नेशनल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग . पृ . 41.
- वेणु सदगोपाल (2015). हमारी शिक्षा नीति और हमारे स्कूल . जयपुर : दिगन्तर संस्थान . पृ . 20.
- श्रीवास्तव आर . एस . (2013) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एन . सी . ई . आर . टी . , नई दिल्ली
- चौहान एम . एल . (2012), शिक्षा का अधिकार , नई शिक्षा , राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका , जयपुर